



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 790]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 15, 2016/कार्तिक 24, 1938

No. 790]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 15, 2016/KARTIKA 24, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2016

सा.का.नि. 1066(अ).—केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतितय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित करती है और उसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से जिसको भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

- ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर जो पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पहले उक्त प्रारूप नियम की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होती है, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।
- इन प्रारूप नियमों के विषय में, यदि कोई आक्षेप और सुझाव हों, तो संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजें।

प्रारूप नियम

- इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2016 है।
 - ये राजपत्र उनके अंतिम प्रकाशन के पश्चात्, 1 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में नियम 115 ख को उसके उप-नियम (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(2) उपनियम (1) के अधीन सी एन जी यानों को लागू धुआं उत्सर्जन मानक ओ ई विनिर्मित ऐसे एल एन जी दोनों को लागू होंगे जो जब एल एन जी का उपयोग किया जाता है तो उनकी जी वी डब्लू 3.5 के बराबर या उससे कम है :

परन्तु एल एन जी संयोजन, केन्द्रीय सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित ईंधन विनिर्देशों को पूरा करता है या आटोमोटिव उपयोजन के लिए अधिसूचित बी आई एस विनिर्देशों के अनुरूप है।

परन्तु यह और कि ओ ई विनिर्मित ऐसे एल एन जी यान, जिनका जी वी डब्लू 3.5 टी के बराबर या उससे कम है, समय-समय पर यथासंशोधित ए आई एस 024 और ए आई एस 028 में यथा अधिकोक्त सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करेंगे।”

[फा.सं. आर.टी.-11028/15/2016-एम.वी.एल.]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल नियम संख्यांक सा.का.नि. 590(अ), तारीख 02 जून, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए और संख्यांक सा.का.नि. (अ), तारीख सितम्बर, 2016 द्वारा उसका अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2016

G.S.R. 1066(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the Public.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government.

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi 110 001.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (----Amendment) Rules, 2016.
- (2) They shall come into force with effect from the 1st day of October, 2017, after their final publication in the Official Gazette.
2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, rule 115B shall be renumbered as sub-rule (1) thereof and after sub-rule (1) as so numbered, the following sub-rule shall be inserted namely:-

“(2) The mass emission standards applicable to CNG vehicles under sub-rule (1) shall be applicable to OE manufactured LNG vehicles having GVW \geq 3.5 T when LNG is used:

Provided that the LNG composition meets the fuel specification for LNG, as notified by the Central Government in the Ministry of Petroleum and Natural Gas or as per notified BIS specifications for automotive application.

Provided further that the OE manufactured LNG vehicle having GVW \geq 3.5 T shall meet the safety requirements as laid down in AIS 024 and AIS 028, as amended from time to time.”

[F. No. RT-11028/15/2016-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. ____ (E), dated the _____.